28/8/18 आज वकील वादी की ओर से प्रा० पत्र धारा 152 CPC पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रा० पत्र पर वकील वादी को सुना गया। पत्रावली में शामिल निर्णय / डिक्री का अवलोकन किया गया। साथ ही पत्रावली में मौजूदा डिक्री का अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी की डिक्री में ग्राम का नाम अंकित नहीं हुआ है। अतः न्यायहित में ग्राम का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा 152 CPC स्वीकार किया जाता है तथा मूल डिक्री में ग्राम का नाम अंकित लाल स्याही से करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली दफ्तर दाखिल की जावे।

अपर जिला कलक्टर
बागपत (उ० प्र०)

डिकरी व् मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत न्यायालय उपजिला कलेक्टर मुकाम बामनवास

व् इजलास श्री रामकिशोर मीना R.A.S.

मूलचन्द बगैराह बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार

दावा बाबत इन्द्राज एवं रिकार्ड दुरुस्ती

मुकद्दमा न. ...71/18... वर्ष

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु मुझ बहाजरी श्री नरेन्द्र कुमार एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई व् प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही मिनजानिब मुद्दवालाह पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व् डिकरी दी जाती हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत इन्द्राज व् रिकार्ड दुरुस्ती विरुद्ध प्रतिवादी एकपक्षीय मय खर्चा डिकरी किया जाकर प्रतिवादी को आदेश दिया जाता हैं कि वह साविक खसरा न.35 रकवा 5 बीघा 11 विस्वा के हाल खसरा न. 47 रकवा 0.38 हेक्टर का इन्द्राज व् राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर वादीगण के नाम मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.09.1977 हिस्सा 1/2 वादी संख्या 1 व् 2 व् 1/2 वा हिस्सा वादीगण संख्या 3 ता 9 के लिए नामान्तरण तस्दीक करे एवं वादीगण के हिस्से के लिए नवीन खसरा न.राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करे ।

नीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व् शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व् मुहर अदालत के आज तारीख ...27-7-18... माह........2018 को जारी की गई

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

दस्तखत ...रामकिशोर मीना R.A.S

ओहदा ...उप जिला कलेक्टर बामनवास

नोट:- आदेश दिनांक 28-8-2018 द्वारा प्रा० पत्र धारा 152 CPC स्वीकार होने पर उक्त डिक्री में ग्राम का नाम बाद दुरुस्ती पढ़ा जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)